न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–109/2016
CIS NO.-TS-619/2018

अजय ओझा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रामलाल महतो.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
26.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 22.12.2021 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.12.2021 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 22.12.2021 को वादी साक्षी सं0–04 रविन्द्र ओझा की गवाही होनी थी लेकिन प्रतिवादी रामलाल महतो का एक्सीडेन्ट हो जाने से उनके द्वारा फाईल समय से अधिवक्ता को उपलब्ध नही कराया गया जिसके कारण गवाह जब न्यायालय में उपस्थित हुआ तो प्रतिवादी अथवा प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित नही हो सके। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि साक्षी सं0–04 रविन्द्र ओझा को प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल करने की कृपा करे। इसके लिए प्रतिवादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगा। वादीगण की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 21.01.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन पोषणीय नही है बल्कि खारिज योग्य है। वादीगण के द्वारा साक्षी सं0–04 रविन्द्र ओझा के बयान का शपथपत्र समय पर प्रतिवादी के अधिवक्ता को हस्तगत करा दिया था। साक्षी सं0–04 रविन्द्र ओझा के प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय के द्वारा बार–बार पुकार कराया गया लेकिन प्रतिवादी के तरफ से कोई भी उपस्थित नही हुआ। लेहाजा साक्षी को न्यायालय के द्वारा उन्मोचित कर दिया गया। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख वादीगण के साक्ष्य हेतु नियत है। दिनांक 22.12.2021 को वादी साक्षी सं0–04 रविन्द्र ओझा साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हुये परंतु प्रतिवादी की ओर	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–109/2016
CIS NO.-TS-619/2018

अजय ओझा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रामलाल महतो.....प्रतिवादी

लगातार 26.09.2023	से प्रतिपरीक्षण हेतु कोई भी उपस्थित नही हुआ। अतः न्यायालय द्वारा साक्षी को बिना प्रतिपरीक्षण के उन्मोचित कर दिया गया। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। बिना प्रतिपरीक्षण के किसी भी साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 22.12.2021 को मो0–1500/– (एक हजार पाँच सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 22.12.2021 के आदेश को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 31.10.2023 वास्ते वादी के साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	